ADVOCATES ACT, 1961

(Act No. 25 of 1961)

अधिवक्ता अधिनियम 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 25)

[President Assent Date: 19th May, 1961]

DIGLOT EDITION
द्विभाषी संस्करण

By

Tansukh Paliwal

LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

Click Here To Buy Linking Publication

Preface

Hello & नमस्कार,

LINKING BARE ACTS are not merely Bare Act of the Text approved by Legislature rather it envisage my personal Experience as Judiciary Exam Educator of more than a decade wherein I found the style of Inter Section Linking, Inter Chapter Linking and Inter Acts Linking so effective that the reader can gain comprehensive command over any particular topic or concept with help of it. Further, such things also help in easy mediation while making revision.

"जो याद (memorize) नही होता उसे, उससे याद करो जो याद हो चूका है" - this technique is output of Linking style.

Presently, Law Exam specially concentrate to check command of student over Legislative Text (i.e. Bare Act), accordingly they asked questions which directly or indirectly Linked with Bare Act only. While teaching various laws, I found that Linking techniques is easy for student to learn multiple sections together, so I have included such technique in LINKING BARE ACTS.

These Linking Bare Acts of **ADVOCATES ACT, 1961** includes regular features of any Linking Bare Acts, so I have provided various comparative table also which will help to understand the changes easily in new laws. it's my firm belief, these LINKING BARE ACT will certainly change the way of reading Bare Act. Further, spacious margin, Bracket Method of Proviso and Explanation etc will make the study more convenient.

Sample Preview

- **Tansukh Paliwal**
Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Click Here To Buy Linking Publication

Advocates Act, 1961

S.No.	TOPIC		*Page*
1.	**Legal Disclaimer**		***5***
2.	**Sections wise Page Number**		***6-9***
1.	**Adv. Act, 1961 (Range Chapter Wise)**	***Sections***	***10-79***
I	Preliminary / प्रारम्भिक	*1-2*	*10-11*
II	Bar Councils / विधिज्ञ परिषद्	*3-15*	*12-27*
III	Admission and Enrolment of Advocates अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन	*16-28*	*28-39*
IV	Right to Practise / विधि व्यवसाय का अधिकार	*29-34*	*40-41*
V	Conduct of Advocates / अधिवक्ताओं का आचरण	*35-44*	*42-51*
VI	Miscellaneous / प्रकीर्ण	*45-52*	*52-63*
VII	Temporary and Transitional Provisions अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबन्ध	*53-60*	*64-79*
-	Schedule / अनुसूची	-	*78-79*

Sample Preview

Click Here To Buy Linking Publication

Legal Disclaimer

All efforts have been made to avoid any kind of typing or other kind of error or omission, though It is humbly requested to all readers that in case of doubt kindly prefer official text of the legislation as passed by Parliament. By **Scanning following QR code** You may have official text of parliament regarding *ADVOCATES ACT, 1961: -*

किसी भी प्रकार की टाइपिंग या अन्य प्रकार की त्रुटि या चूक से बचने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, हालांकि सभी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि संदेह की स्थिति में कृपया संसद द्वारा पारित विधि के आधिकारिक शब्दों को प्राथमिकता दें। **निम्न प्रस्तुत क्यूआर कोड को स्कैन करके** आप अधिवक्ता अधिनियम 1961 के संबंध में संसद का आधिकारिक पाठ प्राप्त कर सकते हैं: -

Source: *https://www.indiacode.nic.in*

Sample Preview

Click Here To Buy Linking Publication

ADVOCATES ACT, 1961

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sec. No.	Title	Page No.
	CHAPTER I	
	PRELIMINARY / प्रारम्भिक	
1.	Short title, extent and commencement / संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	10
2.	Definitions / परिभाषाएं	10
	CHAPTER II	
	BAR COUNCILS / विधिज्ञ परिषद्	
3.	State Bar Councils / राज्य विधिज्ञ परिषद्	12-14
4.	Bar Council of India / भारतीय विधिज्ञ परिषद्	14-16
5.	Bar Council to be body corporate / विधिज्ञ परिषद् का निगमित निकाय होना	16
6.	Functions of State Bar Councils / राज्य विधिज्ञ परिषदों के कृत्य	16
7.	Functions of Bar Council of India / भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कृत्य	18
7A.	Membership in international bodies / अन्तरराष्ट्रीय निकायों की सदस्यता	18
8.	Term of office of members of State Bar Council राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों की पदावधि	20
8A.	Constitution of special Committee in the absence of election निर्वाचन के अभाव में विशेष समिति का गठन	20
9.	Disciplinary committees / अनुशासन समितियां	20
9A.	Constitution of legal aid committees / विधिक सहायता समितियों का गठन	22
10.	Constitution of committees other than disciplinary committees अनुशासन समितियों से भिन्न समितियों का गठन	22
10A.	Transaction of business by Bar Councils and committees thereof विधिज्ञ परिषदों और उनकी समितियों द्वारा कारबार के संव्यवहार	22
10B.	Disqualification of members of Bar Council विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों की निरर्हता	24
11.	Staff of Bar Council / विधिज्ञ परिषद् का कर्मचारिवृन्द	24
12.	Accounts and audit / लेखा तथा लेखापरीक्षा	24
13.	Vacancies in Bar Council and committees thereof not to invalidate action taken / विधिज्ञ परिषद् और उसकी समितियों में रिक्ति होने के कारण की गई कार्रवाही का अविधिमान्य न होना	24
14.	Election to Bar Councils not to be questioned on certain grounds विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचन का कुछ आधारों पर प्रश्नगत नहीं किया जाना	24
15.	Power to make rules / नियम बनाने की शक्ति	24-26
	CHAPTER III	
	ADMISSION AND ENROLMENT OF ADVOCATES	
	अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन	
16.	Senior and other advocates / वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता	28
17.	State Bar Councils to maintain roll of advocates राज्य विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ताओं की नामावली रखेगी	28
18.	Transfer of name from one State roll to another एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अन्तरण	30
19.	State Bar Councils to send copies of rolls of advocates to the Bar Council of India / अधिवक्ताओं की नामावलियों की प्रतियों का राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजा जाना	30

Sample Preview

Click Here To Buy Linking Publication

ADVOCATES ACT, 1961
ACT NO. 25 OF 1961

[19th May, 1961]

An Act to amend and consolidate the law relating to the legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils and an All-India Bar.

BE it enacted by Parliament in the Twelfth Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Advocates Act, 1961.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall, in relation to the territories other than those referred to in sub-section (4), come into force on such date3 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

(4) This Act shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir and the Union territory of Goa, Daman and Diu, come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Sample Preview

2. Definitions.

(1) In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "**advocate**" means an advocate entered in any roll under the provisions of this Act;

(b) "**appointed day**", in relation to any provision of this Act, means the day on which that provision comes into force;

(d) "**Bar Council**" means a Bar Council constituted under this Act;

(e) "**Bar Council** of **India**" means the Bar Council constituted under section 4 for the territories to which this Act extends;

(g) "**High Court**", except in sub-section (1) and sub-section (1A) of section 34 and in sections 42 and 43, does not include a court of the Judicial Commissioner, and, in relation to a State Bar Council, means,-

(i) in the case of a Bar Council constituted for a State or for a State and one or more Union territories, the High Court for the State;

(ii) in the case of the Bar Council constituted for Delhi, the High Court of Delhi;

(h) "**law graduate**" means a person who has obtained a bachelor's degree in law from any University established by law in India;

(i) "**legal practitioner**" means an advocate 5[or vakil] of any High Court, a pleader, mukhtar or revenue agent;

(j) "**prescribed**" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "**roll**" means a roll of advocates prepared and maintained under this Act;

(l) "**State**" does not include a Union territory;

(m) "**State Bar Council**" means a Bar Council constituted under section 3;

(n) "**State roll**" means a roll of advocates prepared and maintained by a State Bar Council under section 17.

(2) Any reference in this Act to a law which is not in force in the Union territory of Goa, Daman and Diu, shall, in relation to that territory, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that State or that territory, as the case may be.

Click Here To Buy Linking Publication

अधिवक्ता अधिनियम, 1961
(1961 का अधिनियम संख्यांक 25)

[19 मई, 1961]

विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा विधिज्ञ परिषदों और अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद् का गठन करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

(4) जम्मू-कश्मीर राज्य और गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

Sample Preview

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "**अधिवक्ता**" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है;

(ख) इस अधिनियम के किसी उपबंध के सम्बन्ध में "**नियत दिन**" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;

(घ) "**विधिज्ञ परिषद्**" से इस अधिनियम के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) "**भारतीय विधिज्ञ परिषद्**" से उन राज्यक्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, धारा 4 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;

(छ) "**उच्च न्यायालय**" के अन्तर्गत, धारा 34 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) और धारा 42 तथा धारा 43 के सिवाय, न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है, और किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् के सम्बन्ध में,-

(i) किसी राज्य के लिए या किसी राज्य और एक या अधिक संघ राज्यक्षेत्रों के लिए गठित किसी विधिज्ञ परिषद् की दशा में, उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ii) दिल्ली के लिए गठित विधिज्ञ परिषद् की दशा में दिल्ली का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ज) "**विधि स्नातक**" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है;

(झ) "**विधि व्यवसायी**" से किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है;

(ञ) "**विहित**" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "**नामावली**" से इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ता नामावली अभिप्रेत है;

(ठ) "**राज्य**" के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है;

(ड) "**राज्य विधिज्ञ परिषद्**" से धारा 3 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;

(ढ) "**राज्य नामावली**" से धारा 17 के अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ता नामावली अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य या गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का, उस राज्य या उस राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, उस राज्य या राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है ।

Click Here To Buy Linking Publication

CHAPTER II
BAR COUNCILS

3. State Bar Councils.

(1) There shall be a Bar Council —

(a) for each of the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Karnataka, Orissa, Rajasthan, Telangana, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Meghalya, Manipur and Tripura to be known as the Bar Council of that State;

(b) for the States of Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram and Nagaland to be known as the Bar Council of Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram and Nagaland;

(c) for the State of Kerala and the Union territory of Lakshadweep to be known as the Bar Council of Kerala;

(cc) for the State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry to be known as the Bar Council of Madras;

(ccc) for the States of Maharashtra and Goa and the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, to be known as the Bar Council of Maharashtra and Goa;

(d) for the States of Punjab and Haryana and the Union territory of Chandigarh, to be known as the Bar Council of Punjab and Haryana;

(dd) for the State of Himachal Pradesh, to be known as the Bar Council of Himachal Pradesh;

(e) for the State of West Bengal and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands, to be known as the Bar Council of West Bengal; and

(f) for the Union territory of Delhi, to be known as the Bar Council of Delhi.

(2) A State Bar Council shall consist of the following members, namely: —

(a) in the case of the State Bar Council of Delhi, the Additional Solicitor-General of India, ex officio; in the case of the State Bar Councils of Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland, the Advocate-General of each of the States of Assam, Arunachal Pradesh , Mizoram and Nagaland ex officio; in the case of the State Bar Council of Punjab and Haryana, the Advocate-General of each of the States of Punjab and Haryana, ex officio; and in the case of any other State Bar Council, the Advocate-General of the State, ex officio;

(b) in the case of a State Bar Council with an electorate not exceeding five thousand, fifteen members, in the case of a State Bar Council with an electorate exceeding five thousand but not exceeding ten thousand, twenty members, and in the case of a State Bar Council with an electorate exceeding ten thousand, twenty-five members, elected in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote from amongst advocates on the electoral roll of the State Bar Council:

Provided that as nearly as possible one-half of such elected members shall, subject to any rules that may be made in this behalf by the Bar Council of India, be persons who have for at least ten years been advocates on a State roll, and in computing the said period of ten years in relation to any such person, there shall be included any period during which the person has been an advocate enrolled under the Indian Bar Councils Act, 1926.

Sample Preview

Click Here To Buy Linking Publication

अध्याय 2
विधिज्ञ परिषद्

3. राज्य विधिज्ञ परिषद्

(1)

(क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में से प्रत्येक के लिए, उस राज्य की विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी;

(ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात विधिज्ञ परिषद् होगी;

(ग) केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के लिए, केरल विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी;

(गग) तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए, मद्रास विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद्

(गगग) महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के लिए और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के लिए होगी जिसका नाम महाराष्ट्र और गोवा विधिज्ञ परिषद् होगा;

(घ) पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए, पंजाब और हरियाणा विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात, एक विधिज्ञ परिषद् होगी;

(घघ) हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी;

(ङ) पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए, पश्चिमी बंगाल विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी; और

(च) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए, दिल्ली विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिक परिषद् होगी;

(2) राज्य विधिज्ञ परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) दिल्ली राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में भारत का अपर महासालिसिटर पदेन, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में प्रत्येक राज्य, अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और नागालैंड का महाधिवक्ता पदेन, पंजाब और हरियाणा राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में प्रत्येक राज्य, अर्थात् पंजाब और हरियाणा का महाधिवक्ता, पदेन; और किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में उस राज्य का महाधिवक्ता, पदेन,

(ख) पांच हजार से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में, पन्द्रह सदस्य, पांच हजार से अधिक किन्तु दस हजार से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में बीस सदस्य, और दस हजार से अधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परिषद् की दशा में पच्चीस सदस्य, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् की निर्वाचक नामावली के अधिवक्ताओं में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित हों:

परन्तु ऐसे निर्वाचित सदस्यों में से यथासंभव आधे के निकट सदस्य, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी राज्य नामावली में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, और ऐसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में दस वर्ष की उक्त अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिनियम, 1926 के अधीन नामांकित अधिवक्ता रहा हो ।

Sample Preview

Click Here To Buy Linking Publication

(3) Where in respect of any matter any rules are made by the Central Government under this section for any State Bar Council, and in respect of the same matter, rules are made by the State Bar Council and approved by the Bar Council of India, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the rules made by it in respect of such matter shall cease to be in force in relation to that Bar Council with effect from such date as may be specified in the notification and on the issue of such notification, the rules made by the Central Government shall, accordingly, cease to be in force except as respects things done or omitted to be done before the said date.

THE SCHEDULE

[See section 50(5)] REPEAL OF CERTAIN ENACTMENTS

	Short title	Extent of repeal
1.	The Legal Practitioners (Women) Act, 1923	The whole.
2.	The Legal Practitioners (Fees) Act, 1926	The whole.
3.	The States Reorganisation Act, 1956	Section 53.
4.	The Bombay Reorganisation Act, 1960	Section 31.

Sample Preview

-: NOTE :-

Click Here To Buy Linking Publication

(3) जहां किसी विषय की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए नियम बनाए जाते हैं, और उसी विषय की बाबत राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियम बनाए जाते हैं और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा ऐसे विषय की बाबत बनाए गए नियम, ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस विधिज्ञ परिषद् के सम्बन्ध में प्रवृत्त नहीं रह जाएंगे, और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम तद्नुसार वहां तक के सिवाय प्रवृत्त नहीं रह जाएंगे जहां तक कि उस तारीख के पूर्व की गई या की जाने से लोप की गई बातों का सम्बन्ध है ।

अनुसूची

[धारा 50 (5) देखिए]

कुछ अधिनियमितियों का निरसन

	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1.	लीगल प्रैक्टीशनर्स (विमेन) ऐक्ट, 1923	सम्पूर्ण ।
2.	लीगल प्रैक्टीशनर्स (फीस) ऐक्ट, 1926	सम्पूर्ण ।
3.	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956	धारा 53 ।
4.	मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960	धारा 31 ।

-: NOTE :-

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Sample Preview

Click Here To Buy Linking Publication